

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- अण्डावाड़ा

प्रकरण संख्या:- २२५/२५

दिनांक:- ३/१०/२५

उनवान

श्री ब्रजमोहन पुत्र  
मोडू जाति जागी  
नि. अण्डावाड़ा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न वस्तु विवरण प्रत्येकी हल्का अण्डावाड़ा भू. अ. नि. अण्डावाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम अण्डावाड़ा पं० ह० अण्डावाड़ा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या ३५८ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>नाम की अशुद्धि</u>	<u>बिरजू पुत्र</u> <u>मीरपा (शंष)</u> <u>अंकन ६६०/७११)</u>	<u>ब्रजमोहन पुत्र</u> <u>मोडू (शंष)</u> <u>अंकन ६६०/७११)</u>

अण्डावाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री ब्रजमोहन पुत्र मोडू जाति जागी ।

अण्डावाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

